प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक– 185/नि0शा0/2021–22 दिनांक– 02-02-2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 5/2022/07/सत्रह–म–2022– 17– 1002 (099)/3/2021 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0–17 में महिला वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ सोलह लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (149) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक— /नि0शा0/2021—22 दिनांक-02-02-2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020—21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021—22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) (के36/रा024/महिला लाभार्थी—40 के0+रा0) के अन्तर्गत महिलाओं हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 5/2022/07/सत्रह—म—2022— 17— 1002 (099)/3/2021 दिनांक 28.01.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020—21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021—22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी—40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0—17 में महिला वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ सोलह लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1— भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या—31/2020/1047/सत्रह—म—2020—6—9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2— बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3— जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4— स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—3/2020/बी—1—375—दस—2021—231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा—निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 — स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7— मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई—टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9— भारत सरकार के पत्रांक जे0—18001/1/2017—एफवाई, दिनांक 23—04—.2021 के प्रस्तर—3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण—पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10— निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11— स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण—पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत महिला वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

19– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी–40 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

20– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (149) पर अंकित है।

भवदीया

/

(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 185 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE RAS MAHILA 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 10657600	1080000 10657600
2	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1800000 6794420	1800000 6794420
3	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1800000 6793200	1800000 6793200
4	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	5400000 18276000	5400000 18276000
5	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	3600000 13034400	3600000 13034400
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	3600000 8984120	3600000 8984120
7	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	3600000 7668000	3600000 7668000
8	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	5400000 8858050	5400000 8858050
9	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 3452580	1800000 3452580
10	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	18000000 25531060	18000000 25531060
11	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	1800000 5342400	1800000 5342400
12	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 12121200	9000000 12121200
13	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5400000 13594560	5400000 13594560
14	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 21001660	1800000 21001660
15	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 5388000	1800000 5388000
16	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600000 7103980	3600000 7103980
17	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 7311100	1800000 7311100
	योग	वर्तमान प्रगामी	71280000 181912330	71280000 181912330

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात करोड़ बारह लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ उनीस लाख बारह हजार तीन सौ तीस

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM RAS MAHILA 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 10122000	900000 10122000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	900000 1965020	900000 1965020
3	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 7694420	900000 7694420
4	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	900000 19176000	900000 19176000
5	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 20291060	1800000 20291060
6	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1800000 22801660	1800000 22801660
	योग	वर्तमान प्रगामी	7200000 82050160	7200000 82050160

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ बीस लाख पचास हजार एक सौ साठ

(पूजा सुमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-001-SMALL FEED MILL MAHILA 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 4637740	1080000 4637740
2	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1080000 13086600	1080000 13086600
3	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7560000 29247060	7560000 29247060
4	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 25247660	1080000 25247660
	योग	वर्तमान प्रगामी	10800000 72219060	10800000 72219060

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ आठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ बाइस लाख उनीस हजार साठ

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-001-MEDIUM FEED MILL MAHILA 01-02-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600000 8784000	3600000 8784000
2	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	3600000 18652720	3600000 18652720
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	3600000 11268000	3600000 11268000
4	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	3600000 29131060	3600000 29131060
5	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3600000 10911100	3600000 10911100
	योग	वर्तमान प्रगामी	18000000 78746880	18000000 78746880

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ अस्सी लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ सत्तासी लाख छियालीस हजार आठ सौ अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-001-LARGE FEED MILL MAHILA 01-02-2022
अनुदान संख्या:-	17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/ रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	7200000 36331060	7200000 36331060
2	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	7200000 12542400	7200000 12542400
	योग	वर्तमान प्रगामी	14400000 48873460	14400000 48873460

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौवालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ अठासी लाख तिहत्तर हजार चार सौ साठ

(पूजा राम)
वित्त एवं लेखाधिकारी

2/1/22, 5:45 PM

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-01/02/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-NEW PONDS NIRMAN MAHILA 01-02-2022
अनुदान संख्या:-	17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
04 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24))

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	425000 5062740	425000 5062740
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	249000 10371000	249000 10371000
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	126000 2091020	126000 2091020
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	112000 608800	112000 608800
5	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	247000 5017960	247000 5017960
6	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 1051030	100000 1051030
7	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1349000 13086600	1349000 13086600
8	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	343000 3702430	343000 3702430
9	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	626000 8320420	626000 8320420
10	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	249000 9033000	249000 9033000
11	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	74000 223180	74000 223180
12	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	49000 1229800	49000 1229800
13	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	498000 2159940	498000 2159940
14	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	223000 2582080	223000 2582080
15	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	226000 1186120	226000 1186120
16	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	221000 667040	221000 667040
17	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	348000 3069600	348000 3069600
18	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	767000 3903060	767000 3903060
19	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	301000 908820	301000 908820
20	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	337000 2133400	337000 2133400
21	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	287000 866600	287000 866600
22	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	454000 4863280	454000 4863280
23	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	677000 3127380	677000 3127380
24	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	187000 1573000	187000 1573000
25	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	386000 7179200	386000 7179200
26	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	31000 1489000	31000 1489000
27	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	482000 1710000	482000 1710000
28	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	249000 19425000	249000 19425000
29	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	773000 13807400	773000 13807400

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
30	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1836000 20488720	1836000 20488720
31	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	355000 2153200	355000 2153200
32	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	199000 3662200	199000 3662200
33	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	100000 301600	100000 301600
34	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	491000 9475120	491000 9475120
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	249000 11517000	249000 11517000
36	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	642000 9500050	642000 9500050
37	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1004000 6131120	1004000 6131120
38	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	320000 3772580	320000 3772580
39	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1990000 6015200	1990000 6015200
40	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	62000 440000	62000 440000
41	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1246000 6106000	1246000 6106000
42	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	161000 595090	161000 595090
43	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	1499000 37830060	1499000 37830060
44	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	523000 13065400	523000 13065400
45	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1009000 13130200	1009000 13130200
46	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	847000 2560600	847000 2560600
47	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	187000 1213000	187000 1213000
48	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1396000 29247060	1396000 29247060
49	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	40000 121140	40000 121140
50	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	243000 5418000	243000 5418000
51	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1406000 15000560	1406000 15000560
52	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 4645330	36000 4645330
53	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1366000 25247660	1366000 25247660
54	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	374000 2714760	374000 2714760
55	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	161000 7264980	161000 7264980
56	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1034000 11945100	1034000 11945100
57	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	125000 1457000	125000 1457000
58	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	322000 2557420	322000 2557420
59	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	52000 408830	52000 408830
60	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	249000 1257000	249000 1257000
	योग	वर्तमान प्रगामी	29920000 385690880	29920000 385690880

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ निन्यानवे लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़तीस करोड़ छप्पन लाख नब्बे हजार आठ सौ अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्याः 5 /2022/07/सत्रह-म-2022-17-1002(099)/3/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0 एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 1516.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19/नि0शा0/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 05 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष + महिला) वर्ग हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2698.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-17 में महिला वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 7759.75 लाख में से अवशेष धनराशि की सीमान्तर्गत कुल रू0 2526.67 लाख (केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 1010.67 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरूष+ महिला) वर्ग हेतु भारत सरकार द्वारा पत्रांक-W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश धनराशि रू0 2698.00 लाख अवमुक्त की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना में महिला वर्ग हेतु रू0 7759.75 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2021 द्वारा अवमुक्त उक्त कुल केन्द्रांश धनराशि रू0 2698.00 लाख में से प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार महिला वर्ग हेतु रू0 1516.00 लाख (कुल का 56.18 प्रतिशत) केन्द्रांश की सीमा तक मैचिंग राज्यांश को सम्मिलित करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 7759.75 लाख में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 1516.00 (रू0 पन्द्रह करोड सोलह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 06

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)

परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(इकाई रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण व फन्डिग पैटर्न (के036+रा024+महिला लाभार्थी -40, के0 +रा0)	इकाई (हे0/ सं0)	ईकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2020--21 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनावार प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2020 -21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मात्र केन्द्रांश धनराशि की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मीठे जल में मत्स्य पालन हेतु निवेश	240.376	4.00	961.50	346.14	230.76	384.60	299.20	299.20
2	वृह्द आर0ए0एस0/ बायो फ्लाक का निर्माण	97	50.00	4850.00	1746.00	1164.00	1940.00	712.80	712.80
3	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	30	25.00	750.00	270.00	180.00	300.00	72.00	72.00
4	लघु मिलों की स्थपना (उत्पादन क्षमता 2 टन / दिन)	46	30.00	1380.00	496.80	331.20	552.00	108.00	108.00
5	मध्यामाकार मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 8 टन / दिन)	9	100.0	900.00	324.00	216.00	360.00	180.00	180.00
6	वृह्द मिल की स्थापना(उत्पादन क्षमता 20 टन / दिन)	5	200.0	1000.00	360.00	240.00	400.00	144.00	144.00
					कुल योग			1516.00	1516.00

(रूपये पन्द्रह करोड सोलह लाख मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयीं शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त शर्तो के साथ ही साथ मात्र केन्द्रांश रू0 1516.00 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है | अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा |

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40, के0+रा0) 20- सहायता अनुदान – सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

7 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर /अशासकीय संख्या-ई-1-3509-दस-2021-2022 दिनांक-27.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव
(कृपा शंकर यादव)
Date: 28-01-2022 13:17:30
Reason: Approved

संख्या- 5 /2022 /07(1) /सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020–21

क0	जनपद	प्रो0 अल0 के नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021–22)						
		क्षेत्रफल हे0	धनराशि (रु0लाख)	कुल अनुदान	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि में से केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश (रु0लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	10.823	43.292	25.9752	22.48	13.49	8.99	13.49
2	फिरोजाबाद	1.950	7.800	4.6800	4.05	2.43	1.62	2.43
3	अलीगढ	0.800	3.200	1.9200	1.66	1.00	0.66	1.00
4	हाथरस	1.290	5.160	3.0960	2.68	1.61	1.07	1.61
5	एटा	2.750	11.000	6.6000	5.71	3.43	2.28	3.43
6	आजमगढ	1.600	6.400	3.8400	3.32	1.99	1.33	1.99
7	मऊ	11.202	44.808	26.8848	23.26	13.96	9.30	13.96
8	बलिया	0.800	3.200	1.9200	1.66	1.00	0.66	1.00
9	प्रयागराज	2.700	10.800	6.4800	5.61	3.37	2.24	3.37
10	कौशाम्बी	1.000	4.000	2.4000	2.08	1.25	0.83	1.25
11	फतेहपुर	2.412	9.648	5.7888	5.01	3.01	2.00	3.01
12	प्रतापगढ	2.300	9.200	5.5200	4.78	2.87	1.91	2.87
13	कानपुर नगर	2.800	11.200	6.7200	5.81	3.48	2.33	3.48
14	कानपुरदेहात	6.159	24.636	14.7816	12.79	7.67	5.12	7.67
15	औरैया	1.770	7.080	4.2480	3.68	2.21	1.47	2.21
16	फर्रुखाबाद	1.000	4.000	2.4000	2.08	1.25	0.83	1.25
17	कन्नौज	0.810	3.240	1.9440	1.68	1.01	0.67	1.01
18	गोरखपुर	6.200	24.800	14.8800	12.88	7.73	5.15	7.73
19	महाराजगंज	11.280	45.120	27.0720	23.43	14.06	9.37	14.06
20	देवरिया	14.733	58.932	35.3592	30.60	18.36	12.24	18.36
21	कुशीनगर	10.959	43.836	26.3016	22.76	13.66	9.10	13.66
22	बांदा	1.500	6.000	3.6000	3.12	1.87	1.25	1.87
23	चित्रकूट	2.000	8.000	4.8000	4.15	2.49	1.66	2.49
24	हमीरपुर	5.438	21.752	13.0512	11.29	6.77	4.52	6.77
25	झॉसी	3.640	14.560	8.7360	7.56	4.54	3.02	4.54
26	ललितपुर	6.800	27.200	16.3200	14.12	8.47	5.65	8.47
27	गोण्डा	10.000	40.000	24.0000	20.77	12.46	8.31	12.46
28	बलरामपुर	8.298	33.192	19.9152	17.23	10.34	6.89	10.34
29	बहराइच	8.100	32.400	19.4400	16.82	10.09	6.73	10.09
30	श्रावस्ती	2.585	10.340	6.2040	5.37	3.22	2.15	3.22
31	अयोध्या	0.500	2.000	1.2000	1.04	0.62	0.42	0.62
32	सुल्तानपुर	1.294	5.176	3.1056	2.69	1.61	1.08	1.61

20.1.22

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020—21

क्र0	जनपद	नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare महिला लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021—22)						
		क्षेत्रफल हे0	धनराशि	कुल अनुदान	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि में से केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अवमुक्त धनराशि केवल केन्द्रांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	अमेठी	4.200	16.800	10.0800	8.72	5.23	3.49	5.23
34	बाराबंकी	12.028	48.112	28.8672	24.98	14.99	9.99	14.99
35	बरेली	5.023	20.092	12.0552	10.43	6.26	4.17	6.26
36	शाहजहाँपुर	0.400	1.600	0.9600	0.83	0.49	0.34	0.49
37	पीलीभीत	4.000	16.000	9.6000	8.30	4.98	3.32	4.98
38	बस्ती	2.850	11.400	6.8400	5.92	3.55	2.37	3.55
39	सिद्वार्थ नगर	0.322	1.288	0.7728	0.67	0.40	0.27	0.40
40	मेरठ	2.000	8.000	4.8000	4.15	2.49	1.66	2.49
41	हापुड़	0.900	3.600	2.1600	1.87	1.12	0.75	1.12
42	बागपत	1.012	4.048	2.4288	2.10	1.26	0.84	1.26
43	गाजियाबाद	1.500	6.000	3.6000	3.12	1.87	1.25	1.87
44	बुलन्दशहर	1.980	7.920	4.7520	4.11	2.47	1.64	2.47
45	मुरादाबाद	0.592	2.368	1.4208	1.23	0.74	0.49	0.74
46	अमरोहा	0.416	1.664	0.9984	0.86	0.52	0.34	0.52
47	रामपुर	1.790	7.160	4.2960	3.72	2.23	1.49	2.23
48	बिजनौर	2.000	8.000	4.8000	4.15	2.49	1.66	2.49
49	लखनऊ	3.937	15.748	9.4488	8.18	4.91	3.27	4.91
50	उन्नाव	2.000	8.000	4.8000	4.15	2.49	1.66	2.49
51	रायबरेली	5.151	20.604	12.3624	10.70	6.42	4.28	6.42
52	सीतापुर	8.060	32.240	19.3440	16.74	10.04	6.70	10.04
53	हरदोई	2.565	10.260	6.1560	5.33	3.20	2.13	3.20
54	लखीमपुरखीरी	15.973	63.892	38.3352	33.17	19.90	13.27	19.90
55	वाराणसी	3.100	12.400	7.4400	6.44	3.86	2.58	3.86
56	चन्दौली	3.003	12.012	7.2072	6.24	3.74	2.50	3.74
57	गाजीपुर	0.250	1.000	0.6000	0.52	0.31	0.21	0.31
58	जौनपुर	3.873	15.492	9.2952	8.04	4.82	3.22	4.82
59	मिर्जापुर	2.000	8.000	4.8000	4.15	2.49	1.66	2.49
60	भदोही	0.291	1.164	0.6984	0.60	0.36	0.24	0.36
61	मुजफफरनगर	2.350	9.400	5.6400	4.88	2.92	1.96	2.92
62	शामली	1.068	4.272	2.5632	2.20	1.33	0.87	1.33
	प्रदेश योग	**240.127**	**960.508**	**576.3048**	**498.67**	**299.20**	**199.47**	**299.20**

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
क्रम	जनपद	वृहद आर0ए0एस0/वृहद वायोफलाक / **Rs. 50.0 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रु लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	1	50.00	30.00	10.80	7.20	10.80
2	हाथरस	2	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
3	गोरखपुर	2	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
4	महाराजगंज	3	150.00	90.00	54.00	36.00	54.00
5	कुशीनगर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
6	बलरामपुर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
7	बहराइच	5	250.00	150.00	90.00	60.00	90.00
8	अम्बेडकर नगर	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
9	अमेठी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
10	बाराबंकी	10	500.00	300.00	180.00	120.00	180.00
11	बरेली	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
12	लखनऊ	2	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
13	उन्नाव	2	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
14	रायबरेली	3	150.00	90.00	54.00	36.00	54.00
15	हरदोई	1	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
16	वाराणसी	1	50.00	30.000	18.000	12.000	18.00
17	मिर्जापुर	3	150.00	90.000	54.000	36.000	54.00
	प्रदेश योग	40	2000.00	1200.00	712.80	475.20	712.80

28/01/2022

5

क्रमांक	जनपद	(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21 मध्याकार आर0ए0एस0/मध्याकार वायोफलाक / **Rs. 25 .0 lacs/unit** महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि/टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	2	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
2	कुशीनगर	2	50.00	30.00	18.00	12.00	18.00
3	बरेली	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
4	मेरठ	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
5	बागपत	1	25.00	15.00	9.00	6.00,	9.00
6	मिर्जापुर	1	25.00	15.00	9.00	6.00	9.00
	प्रदेश योग	**8**	**200.00**	**120.00**	**72.00**	**48.00**	**72.00**

20/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) 2020-21							
क्रमांक	जनपद	लघु फीड मिल / **Rs. 30.0 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	1	30.00	18.00	10.80	7.20	10.80
2	मऊ	7	210.00	126.00	75.60	50.40	75.60
3	कुशीनगर	1	30.00	18.00	10.80	7.20	10.80
4	शामली	1	30.00	18.00	10.80	7.20	10.80
	प्रदेश योग	**10**	**300.00**	**180.00**	**108.00**	**72.00**	**108.00**

20/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

क्रमांक	जनपद	मध्याकार फीड मिल / **Rs. 100.00 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवरिया	1	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
2	बलरामपुर	1	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
3	बाराबंकी	1	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
4	बिजनौर	1	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
5	उन्नाव	1	100.00	60.00	36.00	24.00	36.00
	प्रदेश योग	**5**	**500.00**	**300.00**	**180.00**	**120.00**	**180.00**

28/01/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
कमांक	जनपद	**वुहद फीड मिल / Rs. 200.00 lacs/unit**					
		महिला लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (केन्द्रांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमेठी	1	200.00	120.00	72.00	48.00	72.00
2	बाराबंकी	1	200.00	120.00	72.00	48.00	72.00
	प्रदेश योग	**2**	**400.00**	**240.00**	**144.00**	**96.00**	**144.00**

20/01/2022